न्यायालय अपील अधिकारी (जिला कलक्टर) सीकर

पीठासीन अधिकारी, यज्ञ मित्र सिंहदेव आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 39/2019/प्रथम अपील

अर्जुन लाल सैनी पुत्र भगवान सहाय सैनी, निवासी बालाजी नगर लोहरवाड़ा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर (राज.) पिन– 332719।

अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर।

रेस्पोडेन्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांकः 31 अक्टूबर, 2019

1. यह अपील अपीलार्थी **अर्जुन लाल सैनी** द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी से अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक **29.08.2019** से मुझ प्रार्थी अर्जुन लाल सैनी पुत्र भगवान सहाय सैनी द्वारा दिनांक 31.07.2019 को जिा कलक्टर को ग्राम थोई में स्टेट हाईवे पर कमला सैनी पत्नी कैलाश चन्द सैनी को तत्कालीन तहसीलदार सुमन चौधरी व पटवारी तथा लिपिक द्वारा भ्रष्टाचार करके तथा अपने पदों का दुरूपयोग करने सम्बन्धी शिकायत में आप द्वारा करवाई गई जांच रिपोर्ट की प्रति व जांच उपरान्त दोषी लोक सेवकों के विरूद्व की गई कार्यवाही रिपोर्ट देने की कृपा करें।

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर वरिष्ठ सहायक श्री लोकेश कुमार माथुर उपस्थित आये।

5. रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक **24.10.2019** से अवगत करवाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना इस कार्यालय की स्थापना शाखा के पत्र दिनांक 23.09.2019 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना भिजवाई गई। अतः अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील खारिज करने का श्रम फरमावें।

6. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में पैरा 3 के अनुसार सूचना चाही गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना स्थापना शाखा के पत्र दिनांक 23.09.2019 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः लोक सूचना अधिकारी का प्रत्युतर समुचित है।

7. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

8. उक्त आदेश के विरुद्व, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड,ओ.टी.एस. चौराहा जे.एल.एन.मार्ग जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
अपील अधिकारी,
जिला कलक्टर, सीकर